CONFIDENTIAL

मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
...

ज्ञा प न

क्रमांक २३५७/१८४२:१:३:६५ भोपाल, दिनांक १९, नवम्बर, १९६५

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय:- वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पत्रक में 'सन्निष्ठा' का मूल्यांकन स्तम्भ का भरा जाना तथा संदिग्ध सन्निष्ठा के मामले में आगे की जाने वाली कार्यवाही ।

....

भ्रष्टाचार निवारण के लिये निर्धारित समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की है :-

(१). प्रत्येक उच्च पदस्थ अधिकारी को, जिसके अधीन कई राजपत्रित अधिकारी सीधे काम करते हों, व्यक्तिगत रूप से यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि इन मातहत अधिकारियों की सन्निष्ठा (Integrity) में संदेह करने का कोई कारण तो नहीं है । ऐसा करने से उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के और निकट संपर्क में आवेंगे तथा इससे कोई भी अधिकारी पथ भ्रष्ट न हो पाएगा ।

(२). फिलहाल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक शासकीय सेवक की सन्निष्ठा के संबंध में राय व्यक्त करने के लिये एक स्तम्भ है । फिर भी विद्यमान प्रथा के अनुसार इस स्तम्भ में प्रविष्टि करना उसके लिये संभव नहीं होता, क्योंकि यद्यपि उसके पास किसी मातहत की सन्निष्ठा में संदेह करने के लिये पर्याप्त कारण होते हैं, तथापि उसकी पुष्टि के लिये निश्चित प्रमाण नहीं होते । इसका नतीजा यह होता है कि उक्त स्तम्भ में प्रविष्टि करते समय कुछ गोल माल बातें

...२

लिख दी जाती हैं । अत: यह सुझाव है कि जहां प्रतिवेदक अधिकारी किसी अधिकारी की सन्निष्ठा के बारे में निश्चित रूप से कोई बात लिखने की स्थिति में न हो वहां उसे चाहिये कि उक्त स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न करे तथा उसे खाली छोड दे और यदि किसी अधिकारी की सन्निष्ठा के बारे में संदेह हो तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुये अलग से एक गुप्त प्रतिवेदन भेजे शासन या विभागाध्यक्षों को चाहिये कि ऐसे गुप्त प्रतिवेदन मिलने पर उनकी सत्यता या असत्यता का पता लगाने के लिये समुचित कदम उठायें ।"

२. राज्य शासन ने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी तरह के संदेह या शंका के कारण किसी शासकीय सेवक की सन्निष्ठा के बारे में निश्चित रूप से कहना संभव न हो वहां निम्नलिखित हिदायतों पर अमल किया जाए :-

:एक: पर्यवेक्षण अधिकारियों (Supervisory Officers) को एक गोपनीय डायरी रखनी चाहिये । उस डायरी में उसे समय समय पर ऐसी घटनाओं का, जो मातहत अधिकारी की सन्निष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हों, उल्लेख करना चाहिये तथा अपनी शंकाओं या संदेहों की सच्चाई जानने के लिये गुप्त रूप से विभागीय जांच द्वारा या मामले को विशेष पुलिस स्थापना के सुपुर्द करके शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये । वार्षिक प्रतिवेदन लिखते समय इस डायरी को देखना चाहिये तथा सन्निष्ठा संबंधी स्तम्भ में :सन्निष्ठा संबंधी यह स्तम्भ यदि किसी वर्तमान वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन । चरित्रावली के फार्म में न हो तो ऐसे सब फार्मों में यह स्तम्भ बढाना पडेगा : प्रविष्टि करते समय इसकी सामग्री का उपयोग करना चाहिये । यदि इस स्तम्भ में शंका की पुष्टि के अभाव में कोई प्रविष्टि न की जा सकी हो तो निम्नलिखित उपकंडिकाओं के अनुसार आगे की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

:दो: चरित्रावली में सन्निष्ठा संबंधी स्तम्भ को खाली छोड दिया जाए तथा साथ ही अधिकारी की सन्निष्ठा के संदेहास्पद या शंकास्पद पक्ष पर अलग से एक गुप्त नोट लिखा जाए तथा इस संबंध में आगे कार्यवाही पर ध्यान दिया जाय ।

.....३

:तीन: चरित्रावली के साथ गुप्त प्रतिवेदन की एक प्रति ठीक ऊपर के अधिकारी को भी भेजी जाय जो यह देखे कि इस संबंध में कार्यवाही शीघ्रता से हो रही है या नहीं ।

:चार: आगे की जाने वाली कार्यवाही के फलस्वरूप यदि कोई अधिकारी निर्दोष पाया जाए तो उसकी सन्निष्ठा प्रमाणित की जानी चाहिये तथा चरित्रावली में प्रविष्टि की जानी चाहिये । यदि उसकी सन्निष्ठा के बारे में संदेह को पुष्टि हो जाये तब भी इस आशय की प्रविष्टि करके संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी जानी चाहिये ।

:पांच: ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब कि प्रतिवेदक अधिकारी अपने तथा मातहत अधिकारी के प्रति निष्पक्ष रहते हुए भी न तो सन्निष्ठा संबंधी प्रविष्टि कर सकता है और न प्रतिकूल प्रविष्टि ही, भले ही उसके पास ऐसी जानकारी हो जिसके आधार पर वह अलग से विभागाध्यक्ष को गुप्त प्रतिवेदन भेज सकता हो । ऐसी संभावना तब होती है जबकि मातहत अधिकारी किसी दूर के स्थान पर तैनात हो तथा प्रतिवेदन अधिकारी को निकट से उसका काम देखने का अवसर न मिला हो या जब कि ऐसे मातहत अधिकारी ने थोड़े समय के लिये ही वरिष्ठ अधिकारी के पास काम किया हो या वह लम्बी छुट्टी पर रहा हो, इत्यादि । ऐसे तमाम मामलों में प्रतिवेदक अधिकारी को सन्निष्ठा संबंधी स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि करना चाहिये कि उसे मातहत अधिकारी की सन्निष्ठा परखने का अवसर नहीं मिला है । यह एक तथ्यात्मक कथन होगा जिस पर आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं होगी । किन्तु यह आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिकारी को यथा शीघ्र अपने मातहत अधिकारी की सन्निष्ठा के संबंध में अपनी निश्चित राय कायम करनी चाहिये ताकि वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में हो सके ।

:छः: कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें किसी अधिकारी की शंकास्पद या संदेहास्पद सन्निष्ठा के संबंध में गुप्त प्रतिवेदन नोट लिखने के बाद जांच करने पर भी यह शंका या संदेह को दूर करने या उसकी पुष्टि करने के पर्याप्त प्रमाण न मिल सकें । ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के आचरण पर कुछ और समय तक दृष्टि रखी जानी चाहिये और इस बीच, जहां तक संभव हो, उसे ऐसे पदों से जहां भ्रष्टाचार के लिये गुंजाइश हो, दूर रखा

जाना चाहिये । इस तरह के अधिकारियों के साथ नीचे लिखे मामलों में किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये, यह खास तौर से विचारणीय है :-

अ. सेवा काल में वृद्धि । पुनर्नियुक्ति :-

इह एक ऐसी स्थिति है जिसे शासन केवल सार्वजनिक हित में अपनाता है और सेवा काल में इन बातों की साधारणतया अपेक्षा नहीं की जाती । अत: शासन के लिये यह बात सर्वथा न्याययुक्त होगी यदि वह ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सन्निष्ठा संदिग्ध या संदेहास्पद हो, सेवा काल में वृद्धि न दे या उनको पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति न दे ।

आ. अनिवार्य सेवा निवृत्ति

वार्द्धक्य वय ५८ वर्ष होने के कारण कोई भी अधिकारी स्वाभाविक रूप से यह आशा कर सकता है कि वह ५८ वर्ष की आयु तक शासकीय सेवा में रह सकेगा, बशर्ते कि उसकी सन्निष्ठा के विरुद्ध कोई ठोस बात न हो । केवल शंका या संदेह के आधार पर ही किसी शासकीय सेवक को वार्द्धक्य वय के पूर्व ही अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना निश्चय ही उपयुक्त नहीं है । किन्तु जब किसी शासकीय सेवक के सेवा कार्यों का पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष मुल्यांकन करने की व्यवस्था हो तो संबंधित व्यक्ति की सन्निष्ठा के विषय में किसी भी शंका को लेखबद्ध करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इ. पदोन्नति :- इस बात से कि किसी अधिकारी के बारे में दिये गये गुप्त प्रतिवेदन नोट पर जांच चल रही है उसकी पदोन्नति के अवसरों पर तब तक कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये, जब तक कि सूचना के श्रोत या उस वक्त तक हुई जांच के फलस्वरूप यह निश्चय न हो गया हो कि शीघ्र ही उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच या न्यायालयीन कार्यवाही प्रारंभ की जाने की संभावना है । यदि जांच से यह पता चले कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के पर्याप्त कारण हैं तो यह कार्यवाही बाद में भी की जा सकती है । यदि किसी अधिकारी की सन्निष्ठा संतोष जनक न होने पर भी विभागीय कार्यवाही की जाना संभव प्रतीत न हो तो उसे अयोग्यता के आधार पर स्थानापन्न नियुक्ति के पद से पदावनत किया जा सकता है ।

.....५

ई. <u>स्थायीकरण</u> := स्थायीकरण पदोन्नति से सर्वथा भिन्न है । किसी ऐसे अधिकारी का स्थायीकरण, जिसकी सन्निष्ठा के संबंध में विभागीय जांच या गोपनीय जांच चल रही हो , तब तक के लिये रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि उसके विरुद्ध जांच पूरी न हो जाय और यदि वह दोषमुक्त पाया जाय तो उसका स्थायीकरण किया जाना चाहिये तथा उसे वरिष्ठता सूची में उसका उचित स्थान दिया जाना चाहिये । परन्तु स्थायीकरण तभी रोका जाना चाहिये जबकि किसी अधिकारी की सन्निष्ठा के विरुद्ध कोई विशिष्ट बात सिद्ध हो जाय न कि केवल ऐसी शंका या संदेह के आधार पर ही , जो कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद भी कभी कभी दूर नहीं होता ।

३. मध्य प्रदेश सिविल सेवा :आचरण: नियम ,१९६५. : जो कि अलग से भेजे जा रहे हैं : के नियम ३ :१: :एक: तथा ३ :२: :एक: में इस आशय का आवश्यक प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा तथा पर्यवेक्षकीय पद धारण करने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे समस्त शासकीय सेवकों को , जो कि उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे हों , सन्निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करने के हेतु समस्त संभव उपाय करेगा ।

४. प्रत्येक विभाग से अनुरोध है कि वह इन हिदायतों को अपने प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करे , ताकि वे इनका पालन करें ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
म. ला. चोपड़ा
उप सचिव ,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक २३५८/१८४२:१:३:६५ भोपाल, दिनांक १९ नवम्बर, १९६५

इसकी प्रति ,

निबंधक , उच्च न्यायालय, म० प्र० जबलपुर ,

सचिव , लोक सेवा आयोग , म० प्र० इन्दौर ,

आयुक्त , सतर्कता आयोग , भोपाल

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव । सैनिक सचिव ,
सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय

स्थापना अधिकारी । पैजीयक । लेखाधिकारी,
मध्य प्रदेश सचिवालय

को सूचनार्थ अग्रेषित ।

: तु.चतुर्वेदी :
सहायक सचिव ,
मध्य प्रदेश शासन ,
सामान्य प्रशासन विभाग

शर्मा :

Confidential

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

MEMORANDUM

No. 2357-1842-I(iii)/65 Dated, Bhopal, the 28, Krtk. 1887
19th Novr. 1965

To

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads Of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub:- Filling in the column "Assessment of Integrity" in the Annual Confidential Report Form and further action to be taken in cases of doubtful integrity.

The Committee on Prevention of Corruption have made the following recommendations :-

"(1) Every officer of superior status under whom a number of Gazetted officers are working directly should take steps to ascertain personally whether there is any reason to doubt or suspect the integrity of any of these officers. This would bring the superior officers in greater contact with their junior officers and this would help in ensuring that they do not stray from the path of virtue.

(ii) At present, there is a column in the annual confidential report regarding every public servant where the superior officer has to comment on his integrity. But under the present practice, it is difficult for him to fill this column even when he has reasonable grounds to be doubtful of the integrity of his subordinate in the absence of definite proof. So it is usual to say

.....2

something non-committal. We recommend that in cases where the reporting officer is not in a position to make a positive report about integrity, he should leave the column blank and submit a secret report if he has reasons to doubt the integrity of the officer on whom he is reporting stating the reasons for his suspicious. The Government or the Heads of Department who receive such secret reports should take suitable steps to find out the correctness or otherwise of the report."

2/ The State Government have carefully considered the question and decided to issue the following instructions for observance in cases where because of unconfirmed suspicious integrity cannot be immediately certified :-

(i) Supervisory officers should maintain a confidential diary in which instances which create suspicion about the integrity of a subordinate should be noted from time to time and action to verify the truth of such suspicious should be taken expeditiously by making confidential enquiries departmentally or by referring the matter to the special Police Establishment. At the time of recording the annual confidential report, this diary should be consulted and the material in it utilised for filling the column about integrity (which column has to be introduced in all forms pertaining to confidential reports/Character rolls where it does not exist at present); if the column is not filled on account of the unconfirmed nature of the suspicions, further action should be taken in accordance with the following sub-paragraphs.

.....3

(ii) The column pertaining to integrity in the character roll should be left blank and a separate secret note about the doubts and suspicions regarding the officer's integrity should be recorded simultaneouslly and followed up.

(iii) A copy of the secret note should be sent together with the character roll to the next superior officer who should ensure that the follow-up action is taken with due expedition.

(iv) If, as a result of the follow-up action, an officer is exonerated, his integrity should be certified and an entry made in the character roll. If suspicion's regarding his integrity are confirmed, this fact can also be recorded and duly communicated to the officer concerned.

(v) There are occasions when a reporting officer cannot, in fairness to himself and to the officer reported upon, either certify integrity or make an adverse entry, or even be in possession of any information which would enable him to make a secret report to the Head of the Department. Such instances can occur when an officer is serving in a remote station and the reporting officer has not had occasion to watch his work closely, or when an officer has worked under the reporting officer only for a brief period or has been on long leave, etc. In all such cases, the reporting officer should make an entry in the integrity column to the effect that he has not watched the officer's integrity as the case may be. This would be a factual statement to which there can be no objection. But it is necessary that a superior officer

should make every effort to form a definite judgement about the integrity of those working under him, as early as possible, so that he may be able to make a positive stat...

(vi) There may be cases in which after a secret report/note has been recorded expressing suspicion about an officer's integrity, the inquiries that follow do not disclose sufficient material to remove the suspicion or to confirm it. In such a case the officer's conduct should be watched for a further period, and, in the meantime, he should, as far as practicable, be kept away from positions in which there are opportunities for indulging in corrupt practices. How such officer should be dealt with in the following matters will require particular consideration :-

(a) Grant of extension/re-employment:

This is a course of action Government adopts solely in the public interest and it is not a normal expectation in service. Therefore, Government would be fully justified in refusing to consider extension in service or re-employment of officers about whose integrity there is any doubt whatever.

(b) Compulsory retirement :

The age of superannuation being 58 years, an officer has the normal expectation to continue upto that age unless there is something positive against his integrity. It would, no doubt, not be proper to retire a Government servant compulsorily at an earlier age merely on the basis of a suspicion, but if there is a provision for fair and objective appraisal of an officer's total record of

.....5

service at a sufficiently high level, there should be no objection to the record of any suspicion about an officer's integrity also being considered.

(c) Promotion:

The fact that inquiries are under way on the secret report/note should not affect an officer's chances of promotion unless the source of information, etc. or the result of inquiries made upto that stage is such that departmental proceedings or a criminal prosecution is likely to be started shortly against the officer. If the inquiries reveal sufficient cause for departmental proceedings, these can be undertaken even at a later date; if departmental proceedings are not feasible though the integrity of the officer is found to be unsatisfactory, he can be revert from an officiating appointment on grounds of unsuitabil

(d) Confirmation:

Confirmation stands on a different footing as compared to promotion. The confirmation of an officer against whom a departmental inquiry or even a confidential inquiry with regard to his integrity is going on, should withheld, until the enquiry against him is completed, and he is exonerated he should be confirmed and given his place in the seniority list. But confirmation should only be denied if something specific has been proved against an officer's integrity and not on mere suspicion which may sometimes still remain after the inquiries have been completed.

3/ Suitable provision to the effect that every Government servant shall at all times maintain absolute

.....3

integrity and that every Government servant holding a Supervisory post shall take all possible steps to ensure integrity and devotion to duty of all Government servants serving under his control and authority, has been made in Rule 3(1) (i) and 3 (2) (i) of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules 1965 (which are being issued separately).

4/ All Departments are requested to bring the above instructions to the notice of all the appropriate authorities concerned under their administrative control for compliance.

By order and in the name of
the Governor of Madhya Pradesh

M L Chopra

(M. L. Chopra)
Deputy Secretary to Government
Madhya Pradesh
General Administration Department.

No. 2358-1842-I(iii)/65 Dated, Bhopal, the 19th Novr. 1965.

Copy forwarded to :-

(i) the Registrar, High Court of M. P., Jabalpur,
the Secretary, Public Service Commission, M. P., Indore,
the Vigilance Commissioner, M. P., Bhopal.

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, M. P.,
the Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal.

(iii) the Establishment Officer/Accounts Officer/ Registrar, M. P. Secretariat, Bhopal.

(iv) the PSs to Chief Minister/Ministers/Ministers of State,

for information.

M L Chopra

DEPUTY SECRETARY

Varyani
16-11-65